

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-11250\2013)/अलेसे-III/ 3327

दिनांक:- 14-05-2024

कार्यालय आदेश

श्री प्रभुराम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जैसलमेर को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 05.04.2024 के आधार पर एवं वित्त नियम विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 05.04.2024 (चिकित्सा अधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।

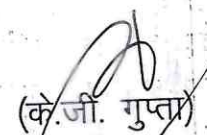

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-11250\2013)/अलेसे-III/ 3327

दिनांक:- 14-05-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जैसलमेर।
2. श्री प्रभुराम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जैसलमेर
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
4. एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
5. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)